हल्द्वानी, 7 जुलाई, 2023 दैनिक जागरण 5

एक्सपायरी सामान की बिक्री रोकने को प्रदेशव्यापी अभियान

जासं, नैनीताल : उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम के लिए हर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर जिलों में कमेटियों का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन से नामित एक अधिकारी व जिला स्वास्थ्य विभाग से नामित एक अधिकारी कमेटी में शामिल होगा। प्रत्येक प्राधिकरण को हर माह नियमित आधार पर बैठक करनी है।

नैनीताल | शुक्रवार • 07.07.2023 02
amarujala.com/nainital

एक्सपायरी सामान और दवा की बिक्री रोकने के लिए कमेटी गठित

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक्सपायरी सामान और दवाओं के प्रति प्रदेशभर में जनजागरूकता अभियान चलाएगा।

प्राधिकरण ने एक्सपायरी सामान एवं दवा की बिक्री की रोकथाम के लिए हर जिले में कमेटी भी गठित कर दी है। विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है।

कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन से नामित एक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग से नामित एक अधिकारी शामिल होंगे। बताया कि गठित कमेटी की नियमित आधार पर बैठकें होंगी। माई सिटी रिपोर्टर

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com
हल्द्वानी
शुक्रवार
7 जुलाई 2023
07

एक्सपायरी सामग्री बिक्री रोकने को समिति गठित

नैनीताल, संवाददाता। प्रदेश में एक्सपायरी सामान व दवाओं की बिक्री रोकने के लिए हर जिले में कमेटी गठित कर दी गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में इस संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर जिला स्तर पर कमेटी का गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह कमेटी अपने जनपद में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री की रोकथाम एवं जागरूकता अभियान चलाएगी।

कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन से नामित एक अधिकारी व जिला स्वास्थ्य विभाग से नामित एक अधिकारी शामिल होंगे। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह हर माह नियमित आधार पर बैठक करें। अभियान की विस्तृत रिपोर्ट हर महीने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं।

उत्तर उजाला 10
नैनीताल, शुक्रवार 7 जुलाई, 2023

एक्सपायरी वस्तु की बिक्री पर जनपदों में गठित करें कमेटी

नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री पर प्रत्येक जनपदों में कमेटी का गठन किया है। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने बताया कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति व अध्यक्ष सालसा मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर राज्य में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक जनपद में प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया जायेगा, ताकि एक्सपायरी सामान एवं औषधि आदि की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि वह अपने जनपद में एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम एवं जागरूकता अभियान हेतु एक कमेटी गठित करें। जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला औषधि निरीक्षक, जिला प्रशासन से नामित एक अधिकारी, जिला स्वास्थ्य विभाग से नामित एक अधिकारी होंगे। उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वह एक्सपायरी सामग्री एवं औषधि की बिक्री के रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के संबन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक माह गठित कमेटी की नियमित आधार पर बैठक करें तथा इस अभियान का अपने जनपदों में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिये गये है कि वह उपरोक्त अभियान की विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं।